23/3/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उपस्थित पक्षों को सुना गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 61/2022

प्रार्थी – तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना

बनाम

अप्रार्थी – मोडूराम चौधरी पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी गौरेड़ी चांचा तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक: 23·03·2022

–:: आदेश ::–

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गौरेड़ी चांचा तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खसरा नंबर 417 रकबा 12.7799 हैक्टेयर मोडूराम चौधरी पुत्र पुसाराम कौम जाट साकिन देह के नाम राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 45407/127799 दर्ज है। उक्त भूमि जमाबन्दी संवत 2066–85 में खसरा नंबर 432 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा नंबर 433 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा नंबर 434 रकबा 4.3788 हैक्टेयर भूमि का अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। सेग्रीगेशन के दौरान उक्त भूमि को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी डेगाना के आदेश क्रमांकः कोर्ट/2018/90 दिनांक 28.02.2019 की पालना में नामान्तकरण संख्या 152 दिनांक 18.03.2019 को खसरा नंबर 417 रकबा 12.7799 हैक्टेयर में शामिल किया गया। अप्रार्थी मोडूराम चौधरी के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी डेगाना के पत्रांकः कोर्ट/2021/06 दिनांक 25.01.2022 की पालना में उक्त प्रार्थना के संबंध में पटवारी हल्का गौरेड़ी चांचा से उक्त भूमि को अलग तरमीम की जाने के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांकः भू.अ./2022/423 दिनांक 16.02.2022 व क्रमांकःभू.अ./2021/119 दिनांक 13.01.2022 में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि खसरा नंबर 417 में दक्षिणी दिशा की तरफ प्रार्थी के खेत के चारों तरफ पक्की दिवार है जिसका नजरी नक्शा व नाप अपनी रिपोर्ट में अंकित करते हुए अवगत कराया कि दक्षिणी दिशा की तरफ 270 मीटर उत्तरी दिशा की तरफ 318 मीटर पूर्व की तरफ 182 मीटर व पश्चिम दिशा की तरफ 141.40 मीटर के अनुसार रकबा 4.5407 हैक्टेयर अलग किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी का हिस्सा पूर्व से ही पृथक होकर पृथक खसरा नंबर थी। मगर पटवारी हल्का द्वारा सहवन से उक्त खसरान को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव कर दिये गये जिससे इन्हे खसरा नंबर 417 में शामिल करते हुए संयुक्त रूपसे दर्ज करवा दिया। अप्रार्थी नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए,बी,सी,डी रकबा 4.3788 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 प्लस व मार्क ई,एफ,जी,एच 40 मीटर गुणा 40.47 मीटर रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म आवासीय पर पृथक से काबिज है तथा इसकी वर्तमान नक्शें में तरमीम संभव है। उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारान के हिस्से प्रभावित नहीं होने से इन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
अधिकारी

स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गौरेड़ी चांचा के खसरा नंबर 417 रकबा 12.7719 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी मोडूराम चौधरी पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी गौरेड़ी चांचा के हिस्से 45407/127799 का नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए,बी,सी,डी रकबा 4.3788 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 प्लस व मार्क ई,एफ,जी,एच 40 मीटर गुणा 40.47 मीटर रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म आवासीय का पृथक से तरमीम कर अलग खसरा, रकबा, लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया किया गया। अप्रार्थी मोडूराम पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी गौरेड़ी ने पूर्व में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान खसरा नंबर 417 में से अपने हिस्से की भूमि की पृथक से तरमीम किये जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की है।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी की भूमि के पूर्व में अलग खसरा नंबर 432, 433, 434 दर्ज थे तथा अलग से खाता था जिसे सेग्रीगेशन के दौरान तरमीम किये में असमर्थता जाहिर करते हुए सहवन से नवीन खसरा नंबर 417 में सम्मिलित करवा गया है। अप्रार्थी मोडूराम अपने हिस्से की भूमि पर अलग से काबिज है तथा मौके पर चारदिवार निर्मित है। भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने प्रार्थना पत्र में नजरी नक्शा अंकित करते हुए प्रार्थी की काबिज भूमि का वर्णन अंकित किया है तथा इसकी पृथक से तरमीम संभव होने से पृथक तरमीम किये जाने हेतु आदेश चाहे है। वर्तमान जमाबन्दी खसरा नंबर 417 में अप्रार्थी मोडूराम चौधरी का हिस्सा 45407/127799 दर्ज रिकार्ड है जिसके अनुसार रकबा 4.5407 हैक्टेयर बनता है। भूमिधारी तहसीलदार डेगाना ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए,बी,सी,डी रकबा 4.3788 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 प्लस व मार्क ई,एफ,जी,एच 40 मीटर गुणा 40.47 मीटर रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म आवासीय पर काबिज होना बताया है जिसके अनुसार कुल रकबा 4.5407 हैक्टेयर बनता है। इस प्रकार अप्रार्थी मोडूराम चौधरी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से पर पृथक से काबिज है जिसकी पृथक से तरमीम की जानी न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गौरेड़ी चांचा तहसील डेगाना में खसरा नंबर 417 रकबा 12.7799 हैक्टेयर में दर्ज अप्रार्थी मोडूराम चौधरी पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी गौरेड़ी चांचा के हिस्से 45407/127799 की तहसीलदार डेगाना ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए,बी,सी,डी रकबा 4.3788 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 प्लस व मार्क ई,एफ,जी,एच 40 मीटर गुणा 40.47 मीटर रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म आवासीय कुल रकबा 4.5407 हैक्टेयर अनुसार पृथक तरमीम की जाकर अलग खाता, खसरे, रकबा, लगान कायम किये जावे। खाते की शेष प्रविष्टिया पूर्ववत्त रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.03.2022 को में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी